बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश

सं0–05/स्था0–(एम.भी.आई.नि.)18/2012 परि0– /पटना,दिनांक–

परिवहन विभाग के पत्रांक 05/स्था0–123/2003–1775 दिनांक 30.04.2007 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित अधियाचना के आधार पर आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2607/2007 के आलोक में परिवहन विभाग के अधीन प्रथम चरण में सामान्य कोटि के मात्र 20 (बीस) अभ्यर्थियों के चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों में विभिन्न न्यायादेश के आलोक में मोटरयान निरीक्षक के आरक्षण कोटिवार रिक्त 39 पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु आयोग के पत्रांक बि.क.च.आ 1912/आ0 दिनांक 20.04.2012 एवं पत्रांक बि.क.च.आ 2831/आ0 दिनांक 26.07.2012 द्वारा द्वितीय चरण में पुनः 20 (बीस) अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। सामान्य कोटि के रिक्त 9 (नौ) पद के विरूद्ध 13 की अनुशंसा एवं विभिन्न आरक्षण कोटि के 30 (तीस) रिक्त पदों के विरूद्ध 7 की अनुशंसा प्राप्त हुई है । आरक्षण कोटि के 7 अनुशंसित अभ्यर्थियों में से 01 अभ्यर्थी को परिवहन विभाग के अधीन मोटरयान निरीक्षक के पद पर आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध अपुनरीक्षित वेतनमान रू0–5000–8000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0– 9300–34800 ग्रेड पे 4200 पी.बी.–2) में स्वीकृत स्थायी पद के विरूद्ध अस्थायी रूप से इस शर्त्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि भविष्य में इस अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच में प्रमाण पत्र जाली अथवा अवैध पाये जाने पर इनकी नियुक्ति तत्समय रद्द कर दी जायेगी एवं उस परिस्थिति में उनके द्वारा किसी प्रकार के प्रतिकार का दावा मान्य नहीं होगा । योगदान की तिथि से इस अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रभावी होगी ।

क्रं. सं.	आयोग का अनुक्रमांक	नाम	पिता का नाम	आयोग के मेधा सूची क्रमांक	अभ्यर्थियों की वास्तविक आरक्षण कोटि	आरक्षण कोटि जिसके तहत नियुक्ति किया जा रहा है ।
1	21	श्री अजय कुमार	श्री सौखी यादव	16	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग

2. उपरोक्त 1 (एक) अभ्यर्थी को एक सप्ताह के अन्तर्गत अथवा विशेष परिस्थिति में एक माह के अन्तर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा । एक माह तक योगदान नहीं करने अथवा किसी प्रकार की सूचना अप्राप्त रहने की स्थिति में इनका दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
3. योगदान के समय इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा ।
4. योगदान के बाद एक सप्ताह के अन्दर इन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
5. योगदान करने के तीन माह के अन्दर इनका चरित्र का सत्यापन पुलिस द्वारा कराया जायेगा। चारित्रिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर इनकी नियुक्ति तत्समय रद्द कर दी जाएगी ।
6. योगदान के समय इनको दहेज निषेध संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

ह0/–

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार, पटना ।

कृ0पृ0उ0

JIVINAD-P-57

ज्ञापांकः–   पटना–15, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– बिहार कर्मचारी चयन आयोग को उनके विज्ञापन सं0–2607 / 2007 एवं अनुशंसा पत्र सं0– बि.क.च.आ 1912 / आ0 दिनांक 20.04.2012 एवं पत्रांक बि.क.च.आ 2831 / आ0 दिनांक 26.07.2012के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना ।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः–   पटना– 15, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री अजय कुमार पिता– श्री सौखी यादव, ग्राम पोस्ट–मड़वा, भाया पकरी बरावाँ, जिला–नवादा,(बिहार) पिन कोड–805124 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः– 1045   पटना–15, दिनांक 15/3/2013

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार पटना / माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव / सचिव के सचिव, परिवहन विभाग, पटना / राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारी / बजट शाखा परिवहन विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा (दो प्रतियों में) परिवहन विभाग, पटना / स्थापना शाखा परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं आई.टी.मनैजर कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/3/13
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना ।